



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh



IN-UP03156716088489V

e-Stamp

Certificate No.
Certificate Issued Date
Account Reference
Unique Doc. Reference
Purchased by
Description of Document
Property Description
Consideration Price (Rs.)
First Party
Second Party
Stamp Duty Paid By
Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-UP03156716088489V
 : 01-Sep-2023 05:10 PM
 : NEWIMPACC (SV)/ up14189304/MANKAPUR/ UP/ GONDA
 : SUBIN-UPUP1418930401912846854783V
 : MANAGER PT JAMUNA PRASAD SIKHAN SANTHAN
 : Article 4 Affidavit
 : MANAGER PT JAMUNA PRASAD SIKHAN SANTHAN GAURA CHAOWKI
 : GONDA
 :
 : MANAGER PT JAMUNA PRASAD SIKHAN SANTHAN
 : Not Applicable
 : MANAGER PT JAMUNA PRASAD SIKHAN SANTHAN
 : 100
 : (One Hundred only)



Please write or type below this line:



प्राप्ति लिया
प्रबन्धक
पं० जमुना प्रसाद शिखण संस्थान
गौरा चौहां, बमनजीत गोप्ता (उद्घरा)

१०.२.२०२३
आधिक
पं० जमुना प्रसाद शिखण संस्थान
गौरा चौहां, बमनजीत गोप्ता (उद्घरा)

Statutory Alert:

- The digital e-Stamp on this certificate should be verified at www.stampstampcode.in using a Samsung Mobile App or else.
- Any change in the document invalidates the certificate and it has to be re-issued on the website / Mobile App mentioned above.
- In case of any dispute, the original is the paper copy of the certificate.

सत्र 2023-24 में नवरस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत शपथ—पत्र

हम विशाम्भर त्रिपाठी एवं राजमणि त्रिपाठी क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबन्धक, पं जमुना प्रसाद शिक्षण संस्थान, गौरा चौकी, गोण्डा उ.प्र.- 271312 शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं—

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा पं जमुना प्रसाद इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी, ग्राम- मन्नीजोत, पोस्ट- गौरा चौकी, गोण्डा उ.प्र.- 271312 नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी के नाम ग्राम- मन्नीजोत में गाठा संख्या 443/0.0810 है० व 451/0.3370 है० व 453/0.4110 है० कुल तीन किता रकबा 0.829 है० (2.048 एकड़) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के 443/0.0810 है० व 451/0.3370 है० व 453/0.4110 है० कुल तीन किता रकबा 0.829 है० (2.048 एकड़) भूमि पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 01. 02.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निरीक्षण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. Sattar AU&K. सह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के Bankapur, पूर्वी अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान किया जायेगा।
Reg. No. 58423/H/23 कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्राविधिक प्रदान किया जायेगा।
8. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
9. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक कलास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार की सुसज्जत किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
11. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्मित निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
12. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

२०२३/०२/०१
लिखा गया

४० प्रबन्धक

प्रबन्धक

पं० जमुना प्रसाद शिक्षण संस्थान
गोण्डा, उत्तरप्रदेश (उत्तर)

२०२३/०२/०१
ह० अध्यक्ष

पं० जमुना प्रसाद शिक्षण संस्थान
गोण्डा, उत्तरप्रदेश (उत्तर)